सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 05/2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. गोपाल पुत्र भूरालाल लखोटिया
2. बाबूलाल पुत्र भूरालाल लखोटिया
   जाति महाजन निवासी बोगला तह. केकडी जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. महावीर पुत्र दुर्गालाल जाट निवासी बोगला तह. केकडी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सावर जिला अजमेर

प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. सीताराम कुमावत एडवोकेट वादी
2. पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी तह.केकडी जिला अजमेर

निर्णय **दिनांकः–7.5.2018**

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वाद ग्रस्त की भूमि वाके ग्राम/कस्बा बोगला तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता नम्बर 95 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1221,1222,कुल किता 2 रकबा क्रमशः 0.05,1.50 कुल रकबा 1.55 है. की पत्थरगढी हेतु वादी ने दावा पेश किया है वादग्रस्त भूमि वादी की स्वयं के कब्जे काश्त एवं खातेदारी आराजीयात है। वादी की आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है। वादी की आराजीयात के पडोसियो प्रतिवादी द्वारा हिस्से पर कब्जा करने व सीमा चिन्ह को नष्ट कर आराजीयात के हिस्से पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे है। उक्त आराजीयात का स्थायी सीमाज्ञान पत्थरगढी से करवाया जाना आवश्यक है। वादी/प्रार्थी गण द्वारा उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया है।

खातेदारी की आराजी है जिसमें प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा आदि किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। प्रतिवादी लैण्डलार्ड (भूमि का मालिक) होने से प्रतिवादी को पक्षकार बनाया गया है। वादी वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः वादी का दावा स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। बहस के दौरान वकील वादी ने वादग्रस्त तथ्यों का बखान करते हुये निवेदन किया कि वादी की वाद ग्रस्त की भूमि वाके ग्राम/कस्बा ग्राम बोगला के आराजी खसरा नम्बर 1221 व 1222 कुल किता 2 कुल रकबा 1.55 है. भूमि गोपाल, बाबूलाल पि. भूरालाल कौम महाजन के नाम दर्ज है की पत्थरगढी हेतु वादी ने दावा पेश किया है वादग्रस्त भूमि खातेदारी की आराजी है। वादग्रस्त आराजी में वादी के अलावा अन्य किसी का कोई हक

हिस्सा या अन्य सरोकार नहीं है। वादी की स्वयं की आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। जिसे स्वीकार फरमाने की प्रार्थना वादी के अधिवक्ता ने की है।

बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन प्रकरण में प्राप्त जवाब पटवारी हल्का एवं सरकार जवाब में ग्राम बोगला के आराजी खसरा नम्बर 1221 व 1222 कुल किता 2 कुल रकबा 1.55 है. भूमि गोपाल, बाबूलाल पि. भूरालाल कौम महाजन के नाम दर्ज है व उपरोक्त खसरा नम्बरो पर गोपाल व बाबूलाल का कब्जा कश्त है व किसी न्यायालय का विवाद व स्थगन नहीं है। उक्त खसरा नम्बरो की पत्थरगढी का आदेश किया जाना उचित होगा।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया । जिसमें वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी होने से वादी का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है। वाद पत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में ग्राम बोगला के आराजी खसरा नम्बर 1221 व 1222 कुल किता 2 कुल रकबा 1.55 है. भूमि गोपाल, बाबूलाल पि. भूरालाल कौम महाजन भूमि का पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार केकडी को वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा कर वादग्रस्त भूमि पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना) मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 07.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर निर्णय शामिल पत्रावली किया । निर्णय मजमें आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी